उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-36/2015/वे0आ0-2-705/दस-2015-69(सामान्य)/2010

लखनऊ: दिनॉक: 24 जुलाई, 2015

कार्यालय-आदेश

वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में दी गयी यह संस्तुति की भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत अधिसूचना के माध्यम से समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन किया जाय, को राज्य सरकार के संकल्प संख्या-वे0आ0-2-1313/दस-54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उपरोक्त लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अधीन वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ का गठन वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-3075/दस-69(सामान्य)/2010, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा करते हुए विभिन्न श्रेणी के पद सृजित किये गये जिसमें मुख्य परामर्शदाता वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/-में एक पद सृजित किया गया।

2- मुख्य परामर्शदाता के पद को भरे जाने हेतु निर्धारित अर्हता के इच्छुक अधिकारी न मिल पाने तथा प्रकोष्ठ में कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय उक्त पद को वरिष्ठ परामर्शदाता पदनाम से वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- में निम्नीकृत करते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2016 तक के लिये इस शर्त के अधीन सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है कि उक्त पद को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

3- श्री राज्यपाल महोदय उक्त पद को भरे जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते है:--

" वरिष्ठ परामर्शदाता के उक्त नवसृजित पद को वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों जिन्हें सम्बन्धित कार्यों का अनुभव प्राप्त हों, में से नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।"

4- उक्त पद के पदधारक को सम्बन्धित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाएं जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, देय होंगे। उपरोक्त पद सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105-विशेष जॉच आयोग-03 राज्य आयोग और समितियॉ-01-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-36/2015/वे0आ0-2-705(1)/दस-2015-69(सामान्य)/2010,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

(5) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4

(6) इरला चेक अनुभाग।

(7) लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, कार्यालय, मुख्य सचिव समिति (दो प्रतियों में)।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

(9) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5/6

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।